

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड**

जमानत आवेदन क्रमांक 224/18

1. राजेश पुत्र गंधर्व शर्मा आयु 40 वर्ष
2. शिवदयाल पुत्र गंधर्व शर्मा आयु 44 वर्ष
- उक्त दोनों निवासी ग्राम सिमार थाना बरासों तहसील मेहगांव जिला भिण्ड म0प्र0
3. कल्लू पुत्र कमलेश शर्मा आयु 26 वर्ष निवासी ग्राम बड़ेरा थाना मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

—आवेदकगण

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

—अनावेदक

21-06-2018

आवेदक/अभियुक्तगण राजेश, शिवदयाल व कल्लू की ओर से श्री के0पी0 राठौर अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 137/18 अंतर्गत धारा 366, 376(2-एन), 376-डी, 456, 34 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदकगण की ओर से यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का नियमित जमानत हेतु प्रस्तुत कर घोषित किया गया है कि यह आवेदकगण का नियमित जमानत हेतु प्रथम आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन किसी न्यायालय में प्रस्तुत, लंबित या निराकृत नहीं किया गया, इस संबंध में एवं अधिवक्ता नियुक्ति के संबंध में कमलेश शर्मा पुत्र श्रीराम सिंह आयु 63 वर्ष निवासी ग्राम भड़ेरा थाना मौ तहसील गोहद जिला भिण्ड म0प्र0, जो कि आवेदक कल्लू का पिता, आवेदक राजेश व शिवदयाल का ससुर है, ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदकगण की ओर से अधिवक्ता श्री के0पी0 राठौर द्वारा प्रथम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि आवेदकगण द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस थाना गोहद ने फरियादी की झूठी रिपोर्ट के आधार पर आवेदक के विरुद्ध झूठा कथित अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। आवेदकगण निर्दोष हैं। आवेदकगण अपने-अपने परिवार में कमाने वाले एक मात्र व्यक्ति हैं। यदि उन्हें अधिक समय तक जेल में रखा गया तो छोटे-छोटे बच्चे भूखे मर जावेंगे। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आवेदकगण

अभियोजन साक्ष्य को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगे और न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेंगे। अतः इन्हीं सब आधारों पर उन्हें जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को अति गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार दिनांक 09.05.18 को फरियादी भीम शर्मा की पत्नी अभियोक्त्री श्रीमती वर्षा के गुम होने की रिपोर्ट की थी, जिस पर से गुम इंसान क्रमांक 08/18 कायम किया जाकर, जाँच में लिया गया। दिनांक 29.05.18 को गुमशुदा अभियोक्त्री श्रीमती वर्षा दस्तयाब हुई और उसका कथन लेखबद्ध किया गया, जिसमें उसने अभियुक्त कल्लू शर्मा, शिवदयाल शर्मा व राजेश शर्मा द्वारा उसे बहला-फुसलाकर ले जाना तथा बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार करना एवं राहुल परिवार द्वारा बार-बार बलात्कार करना बताया था।

उक्त घटना के संबंध में आरक्षी केंद्र गोहद में अभियुक्तगण के विरुद्ध अप0क्र0 137/18 पर धारा 366, 376(2-एन), 376-डी, 456, 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जो कि अति गंभीर प्रकृति का अपराध होकर अभियुक्तगण द्वारा अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर ले जाते हुये बारी-बारी से सामूहिक बलात्कार करना एवं अभियुक्त राहुल द्वारा बार-बार बलात्कार करना बताया गया है और वर्तमान परिवेश में इस तरह की घटनाओं में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता सहित मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये आवेदकगण राजेश, शिवदयाल व कल्लू को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उनकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने को केस डायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

14.06.18

आवेदक/अभियुक्त पक्ष की ओर से श्री गब्बर सिंह गुर्जर अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक 202/18 के निराकरण में पारित आदेश दिनांक 12.06.18 में पंक्ति क्रमांक 8 में टंकण त्रुटि के कारण पुलिस थाना गोहद के अप0क्र0 141/18 के स्थान पर 141/17 टंकित हो गया है। अतः त्रुटि सुधार किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिलिपि ए.जी.पी. को प्रदान किये जाने पर उन्होंने भी उपरोक्तानुसार सहवन से टंकण त्रुटि हो जाना बताया है।

संबंधित इस प्रकरण पत्रावली के अवलोकन से भी पाया जाता है कि सहवन से टंकण त्रुटिवश जमानत आवेदन क्रमांक 202/18 के निराकरण में पारित आदेश दिनांक 12.06.18 की पंक्ति क्रमांक 8 में अपराध क्रमांक 141/18 के स्थान पर 141/17 अंकित हो गया है।

अतः उक्त संबंध में आवेदन पत्र स्वीकार कर त्रुटि सुधार करते हुये यह उल्लेखित किया जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 12.06.18 के पंक्ति क्रमांक 8 में अपराध क्रमांक "141/17" के स्थान पर 141/18 न्यायहित में पढा जावे और इस आदेश को उक्त आदेश दिनांक 12.06.18 का अभिन्न अंग समझा जावे।

प्रकरण पूर्ववत दाखिल रिकॉर्ड हो।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु)